



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 22.12.20

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

थाना धौरहरा पुलिस द्वारा 600 ग्राम अवैध गांजा सहित अभियुक्त कलीम को किया गया गिरफ्तार



प्रेस नोट

थाना धौरहरा पुलिस द्वारा अभियुक्त कलीम पुत्र महेदी नि० महाराजनगर थाना धौरहरा जिला खीरी अभियुक्त मय अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार

दिनांक 22.12..2020 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश व श्रीमान क्षेत्राधिकारी धौरहरा महोदय के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक धौरहरा के द्वारा विशेष अभियान चलाकर स्वयं व पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में अपराध की रोकथाम व वांछित / शांतिर अपराधियों की धर पकड़ने के सम्बन्ध में मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त कलीम पुत्र महेदी नि० महाराजनगर थाना धौरहरा जिला खीरी को केशवापुर मोड से समय करीब 05.30 बजे सुबह मय 600 ग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 620/2020 धारा 8/20 NDPS Act पंजीकृत किया गया अभियुक्त कलीम उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

कलीम पुत्र महेदी नि० महाराजनगर थाना धौरहरा जिला खीरी।

विवरण बरामदगी

600 ग्राम अवैध गांजा

आपराधिक इतिहास

- 1- मु०अ०सं० 342/2015 धारा 3/5क/8 गोवध नि०अधि०
- 2- 501/2017 धारा 3/5क/8 गोवध नि० अधि०
- 3- 198/19 धारा 2/3 यू०पी गैंगेस्टर एक्ट

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में शामिल

- SI श्री राजेश कुमार यादव थाना धौरहरा खीरी।
- का० मो० रिजवान थाना धौरहरा खीरी।
- का० सत्येन्द्र कुमार थाना धौरहरा खीरी।

थाना नीमगाँव पुलिस द्वारा दुष्कर्म व हत्या के अभियुक्त के विरुद्ध रा.सू.का (NSA) की कार्यवाही की गई

प्रेस नोट

जनपद खीरी (दिनांक 22.12.20)

नाबालिग से दुष्कर्म व हत्या के अभियुक्त के विरुद्ध रा.सू.का(N.S.A) की कार्यवाही

थाना नीमगाँव द्वारा पीड़िता से दुष्कर्म व उसकी हत्या कर लोक व्यवस्था प्रभावित करने वाले अभियुक्त दिलशाद पुत्र साजिद नि०ग्राम बेहजम थाना नीमगाँव जनपद खीरी के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (N.S.A.) 1980 की कार्यवाही की गयी है।

थाना नीमगाँव पुलिस द्वारा दिनांक 26.08.2020 को अभियुक्त दिलशाद पुत्र साजिद नि०ग्राम बेहजम थाना नीमगाँव जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त द्वारा दिनांक 24.08.2020 को गांव की ही बालिका से दुष्कर्म कर उसकी हत्या के सम्बन्ध में थाना नीमगाँव पर मु०अ०सं० 263/20 धारा 302पंजीकृत किया गया था। जिसमें विवेचना के उपरान्त धारा 376/201 भा०द०वि० व 3(2)V SC/ST ACT की बढ़ोतरी की गई। अभियुक्त के उक्त कृत्य से जनमानस में काफी आक्रोश एवं भय व्याप्त हो गया था, जिससे लोक व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हुई। पर्याप्त पुलिस बल लगाकर स्थिति को सामान्य किया गया था तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समझाने बुझाने एवं अभियुक्त को गिरफ्तारी होने के बाद लोगों में विश्वास कायम हो सका। पंजीकृत अभियोग की विवेचना पूर्ण करते हुये दिनांक 25.09.2020 को अन्तर्गत धारा 302/376/201भा०द०वि० व 3(2)V SC/ST ACTमें आरोप पत्र सं- 220/20 माननीय न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्त वर्तमान में जिला कारागार खीरी में निरुद्ध है। अभियुक्त जमानत पर बाहर आने हेतु प्रयासरत है। N.S.A. आंधेरोपेत किये जाने के फलस्वरूप अभियुक्त को अग्रिम एक वर्ष तक के लिए निरुद्ध किये जाने हेतु निरुद्धि आदेश जेल में तामील कराया गया। इस वर्ष में जनपद खीरी पुलिस द्वारा अब तक 09अभियुक्तों के विरुद्ध N.S.A.की कार्यवाही की गयी है। खीरी पुलिस की इस कार्यवाही से जनमानस में पुलिस के प्रति विश्वास एवं अपराधियों के मध्य कड़ा संदेश प्रेषित हुआ है।

वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन मे व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए निम्नलिखित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

- थाना पलिया पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 21/17 धारा 379/420/467/468 में वांछित अभियुक्त मंदुत शर्मा पुत्र लालता नि0 अदिरान थाना पलिया जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना पलिया पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 659/20 धारा 323/352/354/452/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्तों 1. गोलू सिंह उर्फ अभिषेक पुत्र मदनमोहन नि0 तेहरा शहरी थाना पलिया जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना गोला पुलिस द्वारा अ0सं0 768/19 धारा 128 सीआरपीसी में वारंटी अभियुक्त संजीव पुत्र गेंदनलाल नि0 लाम्बानगर खुटार रोड थाना गोला जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण एवं बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए 85 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर 07 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	थाना	बरामदगी	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या
1.	थाना धौरहरा	20 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
2.	थाना मोहम्मदी	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
3.	थाना कोतवाली सदर	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
4.	थाना मितौली	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
5.	थाना पलिया	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
6.	थाना मैगलगंज	05 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
	कुल योग	85 लीटर	07 अभियुक्त गिरफ्तार